नि0 नं0 4/2016 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम जगन्नाथ पुत्र नारायण मीना नि0 बगावदा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01-11-19 | पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व ( कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 ) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तृथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री जगन्नाथ पुत्र नारायण मीणा निवासी बगावदा तहसील दीगोद को ग्राम बगावदा तहसील दीगोद की ख0 नं0 448 की, 0.18 है0, ख0 नं0 445 की 0.19 है0,430 की 0.35 है0, 467 की 0.26 है0, 518 की 0.18 है0 कुल रकबा 1.16 है0 भूमि आवंटित हुई थी । उक्त आवंटी को दिनांक 24.06.89 को कब्जा सुपुर्द/दखल दिया गया था । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 18.02..2016 को प्रस्तुत किया है ।<br><br>तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की ग़ई । वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.04.2017 को अवगत कराया कि अप्रार्थी का देहान्त हो चुका है ।<br><br>वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का देहान्त होना बताने पर अप्रार्थी के कायम मुकामान की सूची मंगवाने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक–रीडर/एडीएम/17/795 दि0 13. 04.2017,1433 दि0 21.07.2017, 1868 दि0 11.10.2017, 103 दि0 05.02.2018 व अ0 शा0 पत्र क्रमांक 297 दिनांक 04.02. 2018,718 दिनांक 13.08.2018 व 692 दि0 23.07.2019 एवं 750 दिनांक 05.08.2019 से तहसीलदार दीगोद को लिखे जाने के उपरान्त भी तहसीलदार दीगोद द्वारा मृतक के कायम मुकामान की सूची नही भिजवाई है । । जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नही है ।अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी के वारिसान की जांच कर वासियान के सही पते अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार दीगोद को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो ।<br><br>अति0 जिला कलक्टर<br><br>कोटा | |